राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 31 जनवरी, 2005/11 माघ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2004

संख्या टी0पी0टी0एफ0(9)1/2001-प्रारूप संशोधन स्कीम नामतः हिमाचल प्रदेश यात्री अनुग्रह-पूर्वक अनुदान स्कीम, 2004, 1972 (1973 का 4) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में समसंख्यक अधिसूचना तारीख 8-10-2004 द्वारा इनसे सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों से हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) की धारा 21 के अधीन यथा अपेक्षित, इनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिये राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 6-11-2004 को प्रकाशित किए गए थे ।

2. विधित अवधि के भीतर उक्त प्रारूप स्कीम से सम्बन्धित जनसाधारण से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

3. अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 21 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाते हैं :-

प्रारूप स्कीम

1. संक्षिप्त नाम-(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश यात्री अनुग्रहपूर्वक अनुदान स्कीम 2004 है ।

(2) यह स्कीम हिमाचल प्रदेश राजपत्र की प्रकाशन की अन्तिम तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं -(1) इस स्कीम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) ''दुर्घटना'' से, किसी यात्री की अप्रत्याशित घटना से होने वाली 'अशक्तता' या 'मृत्यु' अभिप्रेत है, जब वह मंजिली गाड़ी बस या संविदा गाड़ी बस में यात्रा के दौरान चढ़ रहा हो या उतर रहा है या सामान लाद रहा हो या उतार रहा हो;

(ग) ''संविदा गाड़ी बस'' से, ऐसा मोटरयान जो भाड़े या पारिश्रमिक के लिए के लिए यात्री या यात्रियों का वहन करता है और संविदा के अधीन लगा हुआ हो, अभिप्रेत है ।

(घ) ''मृत्यु'' से इस स्कीम के प्रयोजन के लिए दुर्घटना के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप यात्री की मृत्यु जो मंजिली गाड़ी बस या संविदा गाड़ी बस में यात्रा के दौरान घटी हो, या कोई मृत्यु जो ऐसी दुर्घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में घटी हो, अभिप्रेत है ।

(ङ) ''आश्रित'' से, मृतक या अशक्त यात्री का कोई रिश्तेदार, अर्थात् पत्नी, पति, माता-पिता और बच्चे या कोई अन्य विधिक वारिस अभिप्रेत है;

(च) ''अशक्तता'' से दुर्घटना के कारण यात्री की उपार्जन सामर्थ्य कीद प्रतिशतता में हानि अभिप्रेत है, जैसा सम्बद्ध जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षताधीन राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो;

(छ) ''अनुग्रहपूर्वक अनुदान'' से मंजिली गाड़ी बस/संविदा गाड़ी बस में की गई यात्रा के दौरान दुर्घटना के परिणामस्वरूप यात्री की अशक्तता या मृत्यु की दशा में यथा स्थिति, उसको या उसके आश्रितों को संदेय रकम अभिप्रेत है ;

(ज) ''प्ररूप'' से, इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(झ) ''निधि'' से, अधिनियम की धारा 3-ख की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित की गई निधि अभिप्रेत है;

(ञ) ''यात्री'' से, मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी बस में यात्रा करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत चालक परिचालक या स्वामी का कर्मचारी जब डयूटी पर हो अथवा पोर्टर नही है ।

(ट) ''अनुसूची'' से, इस स्कीम के साथ संलग्न अनुसूची संलग्न अभिप्रेत है;

(ठ) ''मंजिली गाड़ी बस'' से, वैयक्तिक यात्रियों द्वारा या के लियए, पूर्ण यात्रा अथवा यात्रा की मंजिल हेतु भाड़ा या पृथक किरायों पर पुरस्कार के लिए, चालक को छोड़कर छह यात्रियों से अधिक को/का वहन कने के लिए सनिर्मित या अनुकुल बनाया गया मोटरयान अभिप्रेत है; और

(2) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे जो मोटरयान अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 में उनके हैं ।

3. आवृत जोखिम. (1) सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन अपेक्षित अनुज्ञापत्र रखने वाली और जो, यथास्थिति अधिनियम के अधीन विशेष पथकर या यात्री कर ओर अधिभार उद्गृहित किए जाने के अध्यधीन है, इस बाम के होते हुए भी कि दुर्घटना के घटने के समय, स्वामी द्वारा ऐसा कर या अधिभार संदत्त किया गया ा या नहीं, मंजिली गाड़ी बस या संविदा गाड़र बस में यात्रा के दौरान होने वाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दुर्घटना के परिणामस्वरूप यात्री की मृत्यु होने पर आश्रितों को या अशक्त होने वाले यात्री को, निधि में ये अनुसूची में अधिकथित मृत्यु या अशक्तता के कारण उपार्जन क्षमता की हानि की प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा निर्धारित, अनुग्रहपूर्वक अनुदान संदाय करेगी :

परन्तु उन्हीं दुर्घटनाओं के मामले में जो हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्य क्षेत्रों में घटी हों, के लिए ही अनुग्रहपूर्वक अनुदान संदाय किया जाएगा ।

(2) खण्ड 6 के अधीन संदेय अनुग्रहपूर्वक अनुदान मोटरयान अधिनियम 1988 की धाराओं 110 और 166 के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम और जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई सहायता के अतिरिक्त होगा ।

4. दुर्घटना की सूचना - (1) जहां दुर्घटना घटी हो उस क्षेत्र का उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) ओर मंजिली गाड़ी बस या संविदा गाड़ी बस का स्वामी सम्बद्ध उपायुक्त को तुरन्त दुर्घटना के घटने पर या उसके पश्चात् दुर्घटनाा का लिखित में विवरण भेजेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा होगा :-

(i) बस के स्वामी का नाम, चालक का नाम, सम्वाहक का नाम, बस की रजिस्ट्रीकरण संख्या, मार्ग जिस पर बस चल रही थी तथा दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान ।

(ii) दुर्घटना में अंतर्वलित यात्रिओं की विशिष्टियां जिसमें मृत्यु और अशक्ताा के बारे में पृथकतः यात्रियों के नाम, अनुमानित आयु और पते उपदर्शित हों ।

(iii) उपायुक्त या सरकार द्वारा अधिकृत दुर्घटना के बारे में सूचना मिलते ही, दुर्घटना में सम्मिलित यात्रियों और दुर्घटना मं जो मरे है उनके आश्रितों या निकटतम सम्बन्धी की पहचान के बारे में पूरी पूछताछ या जांच पडताल के प्रयार करेगा ताकि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुग्रहपूर्वक अनुदान का संदाय यथा संभव शीघ्रता से किया जा सके ।

5. अनुग्रहपूर्वक अनुदान के संदाय हेतु आवेदन - (1) इस स्कीम के अधीन यथास्थिति मृतक के आश्रितों द्वारा या अशक्त यात्री द्वारा अनुग्रहपूर्वक अनुदान के संदाय के लिये आवेदन इस स्कीम से संलग्न प्ररूप में किया जाएगा और उसे उप-मण्ड़लाधिकारी (नागरिक), को जिसके क्षेत्र की अधिकारिता में दुर्घटना घटी हो, को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) प्ररूप के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाए जाएंगे :-

(क) बस के स्वामी या स्वामी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि से प्रमाण-पत्र अथवा सम्बद्ध उप मण्डलाधिकारी नागरिक द्वारा जारी किए इस प्रमाण का प्रमाण-पत्र कि मृतक या अशक्त व्यक्ति मंजिली गाड़ी बस या संविदा गाड़ी बस का वास्तविक यात्री था ।

(ख) मुत्यु अथवा अशक्तता के बारे में चिकित्सा अध्किारी का प्रमाण-पत्र ।

(ग) मृत्यु की दशा में, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आश्रितों का प्रमाण-पत्र ।

(3) अनुग्रहपूर्वक अनुदान के संदाय के लिए कोई भी आवेदन तक तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक यह दुर्घटना की तारीख से एक वर्ष के भीतर न किया जाए :

परन्तु सरकार अनुग्रहपूर्वक अनुदान के लिये असाधारण मामले में गुणागुण के आधार पर किसी आवेदन की जिसे एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् किया गया हो पर भी विचार कर सकती है यदि एक वर्ष के भीतर आवेदन फाईल न करने के अच्छे और पर्याप्त कारण हों ।

6. अनुग्रहपूर्वक अनुदान का परिनिर्धारण और संदाय- (1) खण्ड़ (5) के अधीन आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रारूप पर प्राप्त करने पर उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), दावे की असलियत की ऐसी जांच पड़ताल, जैसी वह आवश्यक समझे, सुनिश्चित करने के पश्चात् और अपनी सिफारिश के साथ आवेदन को सम्बद्ध उपायुक्त जिसकी अधिकारिता के भीतर दुर्घटना घटी है, को आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 15 दिन के भीतर अग्रेषित करेगा ।

(2) उप-मण्ड़लाधिकारी (नागरिक) से सिफारिश प्राप्त होने पर, उपायुक्त अपना समाधान हाने और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि सभी आवश्यक अपेक्षाओं का पालन किया जा चुका है, अनुसूची के अनुसार अनुग्रहपूर्वक अदुदान मंजूर करेगा ।

(3) उपायुक्त से अनुग्रहपूर्वक अनुदान के संदाय की मंजूरी प्राप्त होने पर, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), उसे आवेदक को प्रत्यक्ष रूप से या आवेदक अनुदान मंजूर होने के समय रह रहा है उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य अधिकारी द्वारा संवितरित करेगा ।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध उपायुक्त जिसने अनुग्रहपूर्वक अनुदान मंजूर किया है, व्यय की संगणना के लिए अनुग्रहपूर्वक अनुदान के संवितरत की मासिक सूचना आयुक्त को भेजेगा ।

7. अनुग्रहपूर्वक अनुदान का संदाय- (1) ऐसे यात्री की मृत्यु की दशा में दुर्घटना की तारीख को जिसकी आयु बारह वर्ष और उससे ऊपर है, की अनुग्रहपूर्वक अनुदान की रकम ऐसी होगी जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ।

(2) मंजिली गाड़ी बस या संविदा गाड़ी की दुर्घटना के यात्री की मृत्यु या अशक्तता की दशा में, जो दुर्घटना की तारीख को बारह वर्ष की आयु से कम का है, उप-खण्ड़ (1) में विहित अनुग्रहपूर्वक अनुदान की सीमा को पचास प्रतिशत तक कम किया जाएगा ।

8. अपवर्जन -(1) सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 या तद्धीन बनाए नियमों के अधीन या भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर के ऐसे किसी दायित्व के लिए दायी नहीं होगी ।

9. सरकार का परित्राण/क्षतिपूर्ति -(1) यथास्थिति, प्रत्येक पात्र यात्री या उसका आश्रित, जो इस स्कीम के उपबन्धों के अनुसार अनुग्रहपूर्वक अनुदान का पात्र है और जिसके पक्ष में इस स्कीम के खण्ड 7 के उप-खण्ड (1) या (2) के अधीन अनुग्रहपूर्वक अनुदान के संदाय के पश्चात् प्रश्नगत होती है/चुनौती दी जाती है कि दशा में हर समय सरकार को सभी और हर हानि वादों या कार्यवाहियों से क्षतिपूर्ति और सुरक्षित और अहानिकर रखेगें ।

10. निरसन और व्यावृतियां- (1) अधिसूचना संख्या टी0पी0टी06-27/76, तारीख 18-11-1977 द्वारा यथाअधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश असाधारण मे तारीख 19-11-1977 (पृष्ठ 1109-1113) में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश यात्री बीमा स्कीम को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपर्युक्त स्कीम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस स्कीम के अधीन की गई समझी जाएगी मानों यह स्कीम जब निरसित स्कीम प्रवृत हुई उस दिन प्रारम्भ हुई थी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार

Back to Top

आवेदन प्ररूप

[पैरा 5 (1) देखें]

मृतक का फोटोग्राफ	आवेदक का फोटोग्राफ

सेवा में

उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) के माध्यम से

श्रीमान जी,

मै..........................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..........................
एतदद्वारा (नाम), जिसकी मोटरयानद दुर्धटना में मृत्यु/अशक्तता हुई है, के अश्रित के रूप अनुग्रहपुर्वक अनुदान के संदाय के लिए आवेदन करता/करती है । मोटरयान में मृतक/अशक्त के बारे में नाम और विशिष्टियां नीचे दी गई है ।

1. घायल/मृतक व्यक्ति का नाम और पिता का नाम ....
   विवाहित स्त्री और विधवा की दशा में पति का नाम ....
2. घायल/मृतक व्यकित का पूरा पता ....
   ....
   ....
3. घायल/मृतक व्यक्ति की आयु ....
4. घायल/मृतक व्यकित का व्यवसाय ....
5. मृतक के नियोजक यदि कोई है, का नाम और पता ....

Back to Top

....

....

6. दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय ....

....

7. स्थान/स्टेशन जहां दुर्घटना घटी है या रजिस्ट्रीकृत की गई है, का नाम और पता .....

....

....

8. क्या व्यक्ति जिसके बारे में अनुग्रहपूर्वक अनुदान संदाय का दावा किया गया है, दुर्घटना में अंतर्वलित मोटरयान द्वारा यात्रा कर रहा था । यदि ऐसा है, तो यात्रा के आरम्भ करने और गन्तव्य के स्थानों का नाम ....

....

....

9. चिकित्सा अधिकारी जिसने यात्री की परिचर्या की है का नाम और पता ....

....

....

10. हुई क्षति का विवरण (दुर्घटना के कारण यात्री की उपार्जन सामर्थ्य में हुई हानि को प्रतिशितता दर्शित करते हुए अशक्तता की प्रतिशतता का चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....

....

....

....

11. दुर्घटना में अंतर्वलित यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या और किस्म ....

....

Back to Top

12. यान के स्वामी का नाम और पता ....

....

....

13. आवेदक का नाम और पता ....

....

....

14. मृतक/अशक्त के साथ सम्बन्ध ....

15. मृतक की सम्पति में हक ....

16. दावा किए गए अनुग्रहपूर्वक अनुदान के संदाय की रकम ....

....

17. कोई अन्य सूचना, जो दावे का प्रसंस्करण करने में आवश्यक या सहायक हो ....

....

....

मैं ....सतयनिष्ठा से घोषाणा करता/करती हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टयां मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं । केवल वही मृतक श्री ....का विधिक प्रतिनिधि/वारिस है।

आवेदक के हस्ताक्षर या
अंगूठा निशान ।

दावेदार की पहचान करने वाले
व्यक्ति के हस्ताक्षर

Back to Top

जहां आवेदक रहता है उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रधान/तहसीलदार का नाम और पता ....

....

उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) की सिफारिश/रिपोर्ट ....

....

....

उपायुक्त ।

अनुसूची

क्रम संख्या	क्षति का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत
1	2	3

भाग-1

उन क्षतियों की सूची जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण आंशिक निःशक्तता हुई है :

1.	दोनों हाथों की हानि या उच्चतर स्थानों पर विच्छेद	100
2.	एक हाथ और एक पाद की हानि	100
3.	टांग या उरू से दोहरा विच्छेदन या एक ओर टांग या उरू से विच्छेदन और दूसरे पाद की हानि ।	100
4	दृक शक्ति की एक विस्तार तक हानि कि दावेदार ऐसा काम करने में असमर्थ हो जााता है जिसके लिए दक शक्ति आवश्यक है ।	100
5.	चेहरे की बहुत गम्भीर विद्रूपदा	100
6.	पूर्ण बधिरता	100

भाग-2

उन क्षतियों की सूची जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण आंशिक निःशक्तता हुई है :

विच्छेद के मामले-------उर्ध्व शाखा (कोई भी भूजा)

1.	स्कन्ध संधि का विच्छेदन	90
2.	स्कन्ध से नीचे विच्छेदन, जबकि स्यणक असंकट के सिरे के 20 , 32 सैटीमीटर से कम हो	80
3.	असंकट के सिरे से 8 ईंच से कुपंर के सिरे के नीचे 11.43 सैटीमीटर से कम तक विच्छेदन	70
4.	एक हाथ की या एक हाथ के अंगूठे और चारों अंगुलियां	60

	की हानि या कूपंर के सिरे से 11.43 सैटीमीटर से नीचे विच्छेदन ।	
5.	अंगूठे की हानि	30
6.	अंगूठे की और उसकी करम-अस्थि की हानि	40
7.	एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि	50
8.	एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि	30
9.	एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि	20
10.	अंगुठे की अन्तिम अंगुलि-अस्थि की हानि	20
10-ए.	अस्ति की हानि के बिना अंगुठे के सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	10
	विच्छेदना के मामले अधःशाखः	
11.	दोनों पादों का विच्छेदना जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग मात्र रह जाए	90
12	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि के निकट से दोनों पांवों का विच्छेदन	80
13.	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि से दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	40
14.	निकटस्थ अन्तरांगुलि-अस्ति संधि के निकट दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	30
15.	निकटस्थ अन्तरांगुलि-अस्ति संधि से दूर पादों की सब अंगुलियों की हानि	20
16.	नितम्ब पर विच्छेदन	90
17.	नितम्ब से नीचे विच्छेनद, जबकि स्यूणक बृहत उरू-अस्थि के सिरे से नीचे जाने पर 12.70 सैटीमीटर से अधिक लम्बा न हो ।	80
18.	नितम्ब से नीचे विच्छेनद, जबकि स्यूणक बृहत उरू-अस्थि के सिरे से नीचे जाने पर 12.70 सैटीमिटर से अधिक लम्बा हो, किन्तु मध्योरू से आगे न हो।	70
19.	मध्योय के नीचे से घुटने के 8.89 सैटीमीटर नीचे तक विच्छेदन ।	60
20.	घुटने से नीचे विच्छेदन, जबकि स्थूणक 8.89 सैटीमिटर से अधिक हो, किन्तु 12.70 सैटीमिटर से अधिक न हो।	50
21.	घुटने से नीचे विच्छेदन, जबकि स्थूणक 12.70 सैटीमीटर से अधिक हो	40
22.	एक पाद का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग-मात्र रह जाए	30

Back to Top

23.	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि के निकट से एक पाद का विच्छेदन	30
24.	प्रपादांगुलि-अस्थि संधि से एक पद की सब अंगुलियों की हानि	20
	अन्य क्षतियां :	
25.	एक नेत्र की हानि, जबकि कोई अन्य उपद्रव न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	40
26.	एक नेत्र की दृष्टि की हानि, जबकि नेत्रगोलक में उपद्रव या विद्रुपता न हो दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो ।	30
26-ए.	एक नेत्र की दृष्टि की आंशिक हानि ।	10
निम्नलिखित की हानि :-		
	क---दाएं या बाएं हाथ की अंगुलियां	
	तर्जनी :	
27.	सम्पूर्ण	14
28.	दो अंगुलि-अस्थियां	11
29.	एक अंगुलि-अस्थि	9
30.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	5
	मध्यमा :	
31.	सम्पूर्ण	12
32.	दो अंगुलि-अस्थियां	9
33.	एक अंगुलि-अस्थि	7
34.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	4
	टनामिका या कनिष्ठिका :	
35.	सम्पूर्ण	7
36.	दो अंगुलि-अस्थियां	6
37.	एक अंगुलि-अस्थि	5

38.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	2
	ख------दाएं या बाएं पाद की अंगुलियां-----	
	अंगूठा :	
39.	प्रपदांगुलि सन्धि से	14
40.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3
	कोई अन्य अंगुली :	
41.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	3
42.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	1
	अंगुठे को छोडकर एक पाद की दो अंगुलियां :	
43.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	5
44.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	2
	अंगुठे को छोडकर एक पाद की तीन अंगुलियां :	
45.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	6
46.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3
	अंगुठे को छोडकर एक पाद की चार अंगुलियां :	
47.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	9
48.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3

टिप्पणी -----इस अनुसूची में निदिष्ट किसी अंग या अवयव के उपयोग की पूर्ण तथा स्थायी हानि उस अंग या अवयव की हानि के समतुल्य समझी जाएगी ।

Back to Top

Transport Department

Notification

Shimla-2, the 31st December,2004

No. TPT-F(9)1/2001- Whereas the draft amendment scheme titled as "Himachal Pradesh passenger, Ex-gratia Scheme, 2004" were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 6th November,2004 vide notification of even number, dated8th October,2004 in pursuance of the provisions of Section 21 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), for inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby as required under Section 21 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No.4 of 1973), within a period of 30 days from the date of publication;

2. And whereas no objection has been received from general public on the said draft scheme.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 21 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following scheme, namely:-

1. Short title:-

(I) This Scheme shall be called the Himachal Pradesh Passenger Ex-Gratia Grant Scheme,2004.

(II) This scheme will come into force from the date of its final publication in the official Gazette (Rajpatra).

2. Definitions:-

(I) In this Scheme, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Motor vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973)

(b) "accident" means an unforeseen mishap resulting in 'disability' or "death" of any passenger, while boarding or alighting or loading or unloading of luggage, during the course of journey in a stage carriage bus or 'contract' carriage bus;

(c)"contract carriage bus" means a motor vehicle which carriers a passenger or passengers for hire or reward and is engaged under a contract;

(d) "death" for the purpose of this scheme means a death of a passenger as a direct consequence of an accident which occurs during the course of journey, in a stage carriage bus or contract carriage bus or any death which occurs as a direct consequence of such accident;

Back to Top

(e) "dependent" means any of the relative, namely the wife, husband, parents and children or any other legal heirs of the deceased or disabled passenger;

(f) "disability" means percentage of loss of earning capacity on account of an accident of a passenger, as certified by the Medical Board constituted by the State Government under the Chairmanship of Chief Medical Officer of the district concerned;

(g) "ex-gratia grant" means the amount payable in case of disability or death of a passenger during course of journey consequent upon an accident in a stage carriage bus/contract carriage bus to him or his dependents, as the case may be;

(h) "form" means the form appended to this Scheme;

(i) "fund" means the fund established under sub-section(1) of section 3-B of the Act;

(j) "passenger" mean a person travelling in a stage carriage or contract carriage bus but shall not include the driver, conductor or an employee of the owner while on duty or a porter;

(k) "Schedule" means the schedule appended to this scheme;

(l) "Stage carriage bus" means a motor vehicle constructed or adapted to carry more than six passenger, excluding the driver for hire or reward at separate fares paid by or for individual passenger, either for the whole journey or for stage of the journey;

and

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Motor Vehicles Act, 1988 or the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972.

(3) Risk cover:-

(1) The Government shall pay ex-gratia grant as may be determined by the Government keeping in view the death or percentage of loss of earning capacity due to disability as laid down in the Schedule, out of fund to the dependents of a passenger on death or the passenger disabled as a consequence direct or indirect of an accident occurring during the course of journey in stage carriage bus or contract carriage bus having valid permit as required under the Motor Vehicles Act,1988 and are subject to levy of special road tax under the Act, or passenger tax and surcharge as the case may be notwithstanding whether such tax or surcharge has been paid or not by the owner at the time of occurrence of the accident:

Provided that the payment of ex-gratia grant shall be made only in those accident cases which occur within the territory of State of Himachal Pradesh.

Back to Top

(2) The ex-gratia grant payable under clause 6 shall be in addition to the amount of compensation payable under sections 140 and 166 of the Motor Vehicles Act, 1988 and relief granted by the District Administration.

4. Intimation of accident:-

(1) The Sub- Divisional Officer (civil) of the area where the accident occurs and the owner of the stage carriage bus or contract carriage bus shall send a report in writing of the accident to the Deputy Commissioner concerned immediately on or after the occurrence of the accident which shall contain the following details:-

(i) name of the owner of the bus, name of the driver, name of the conductor, registration of the bus, route on which the bus was plying and date, time and place of accident.

(ii) The particulars of the passengers involved in the accident indicating name, approximate age and addresses of the passengers in respect of death and disability separately.

(iii) The Deputy Commissioner or any officer authorized by the Government on receipt of the intimation about the accident shall make all efforts to complete the investigation or enquiry with regard to the identity of the passengers involved in the accident and also of the dependents or next of kin of those who died in the accident, so as to make the payment of ex-gratia grant as specified in the Schedule as early as possible.

5. Application for payment of ex-gratia grant;-

(1) The application for payment of ex-gratia under this scheme shall be made on the form appended to this scheme, by the dependent(s) of the deceased or by the disabled passenger, as the case may be, and the same shall be submitted to the Sub-Divisional Officer (civil) of the area within whose jurisdiction the accident occurred.

(2) The form shall be accompanied by the following documents:-

(a) Certificate from the owner or the authorized representative of the owner of the bus or certificate issued by the Sub-Divisional Officer (Civil)concerned to the effect that the deceased or the disabled person was a bonafide passenger of the stage carriage bus or contract carriage bus.
(b) Certificate of the Medical officer regarding death or disability.
(c) Certificate of dependents issued by the competent authority in the case of death.

(3) No application for payment of ex-gratia grant shall be entertained unless it is made within one year from the date of the accident:

Provided that the Government may consider any application for grant of ex-gratia grant in exceptional cases on merit which is made after the expiry of period of one year if there are good and sufficient reasons for not filing the application within one year.

Back to Top

6. Settlement and payment of ex-gratia grant:-

(1) On receipt of the application on the form, alongwith essential documents, under clause (5) , the Sub-Divisional Officer (Civil) shall process the application after making such enquiry as he deems necessary to ascertain the genuineness of the claim and forward his recommendation, to the Deputy Commissioner concerned within whose jurisdiction the accident occurred, within 15 days from the date of receipt of application.

(2) The Deputy Commissioner on receipt of the recommendations from the Sub-Divisional Office (civil), shall after satisfying and ensuring that all essential requirements have been adhered to, sanction the ex-gratia grant as per schedule.

(3) On receipt of the sanction of payment of the ex-gratia grant from the Deputy Commissioner, the concerned Sub-Divisional Officer (Civil) shall endeavour to disburse the same to the applicant, either directly or through any other authority having jurisdiction over the area where the applicant is residing at the time of sanction of grant.

(4) Every Deputy Commissioner concerned who has made sanction of the ex-gratia grant, shall send monthly information of disbursement of ex-gratia grant to the Commissioner for compilation of expenditure.

7. Payment of ex-gratia grant:-

(1) In case of death of a passenger who is of the age of 12 years and above, as on the date of accident, the amount of ex-gratia grant shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) In case of death of or disability to passenger of stage carriage bus or contract carriage bus in an accident who is below the age of 12 years and above, as on the date of accident, the ex-gratia grant shall be reduced to 50 percent of the limit prescribed in sub- clause(1).

8. Exclusion:-

(1) The Government shall be liable for any such liability for compensation under the Motor Vehicles Act, 1988 or rules made there under or under the Indian Fatal Accidents Act, 1855, or any other Law for time being in force.

9. Indemnity of the Government:-

(1) Every eligible passenger or his dependents as the case may be, who is entitled for ex-gratia grant as per provisions of this Scheme and in whose favour payment of ex-gratia grant has been sanctioned under sub-clause 1 or 2 of clause 7 of this Scheme shall at all time indemnity

Back to Top

and save and keep harmless the Government from all and every loss suits or proceedings in case the payment of ex-gratia grant is later on questioned/ challenged.

10. Repeal and Saving:-

(1) The Himachal Pradesh Passenger Insurance Scheme as notified vide Notification No. TPT-6-27/76, dated 19-11-1977, and published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary), dated 19-11-1977 (page 1109-1113) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the aforesaid Scheme shall be deemed to have been done or taken under this Scheme as if this Scheme had commenced on the day when the repealed Scheme came in force.

By order,

Sd/-
Principal Secretary

APPLICATION FORM

[See clause 5(1)]

Photograph of the Deceased	photograph of the applicant

To

The Deputy Commissioner,………………………
Himachal Pradesh

(Through : The SDO Civil)

Sir,

I………………………………………son/daughter/wife of Sh…………………..here by apply as a dependent for payment of ex-gratia grant on account of death disability of (names)…………………………………….in a motor vehicle accident. Names and particulars in respect of the deceased/disabled, in the motor vehicle are given below:-

1. Name and father`s name of the person died/ Disabled. Husband`s name in case of married women and widow…………………………………………………………………….
2. Full address of the person disabled/died……………………………………………......
   ....
   ....
3. Age of person disabled /died…………………………………………………………......
4. Occupation of the person injured/died………………………………………………...
5. Name and address of the employer Of the deceased/disabled, if any…………………………………………………………
6. Place, date and time of the accident………………………………………………………...
7. Name and address of the place/station Where the accident took place or was registered………………………………………………………………………………
   ………...

Back to Top

8. Was the person in respect of whom ex-gratia grant is claimed travelling by motor vehicle involved in the accident. If so, give the name of places, of starting of journey and destination…………………………………….............

9. Name, and address of the Medical officer Who attended on the passenger……………………………………………………......

10. Description of the injuries sustained (enclose medical certificate with percentage of disablement sustained by passenger showing percentage of the loss of the earning capacity sustained due to the accident)…………………………………………………………………………

11. Registration No. & Type of the vehicle involved in the accident…………………………………………………………...

12. Name and address of the owner of the vehicle…………………………………………......

13. Name and address of the applicant……………………………………………………………

14. Relationship with the deceased/disabled………………………………………………..

15. Title to the property of the deceased/diabled……………………………………………......

16. Amount of ex-gratia grant claimed…………………………………………………….....

17. Any other information that may be necessary or helpful n the processing of the claim…………………………………………………

I,…………………………………………………,solemnly declare that the particulars given above are true and correct to the best of my knowledge.

Signature or thumb impression of the applicant.

Certified that I personally know
Shri………………………………………..
He/ She is the only legal representative/
Heir of the deceased Sh……………………..

Signature of the person Identifying the claimant.

Back to Top

Name and full address of the Pradhan, Gram panchyat/ Tehsildar of the area where the applicant resides:-

Recommendation of the SDO (Civil)………………………………………………

Recommendation/Report of the Deputy Commissioner.

Deputy Commissioner.

SCHLDULE

PART-I

LIST OF INJURIES DEEMED TO RESULT IN PERMANENT TOTAL DISABLEMENT

Sl. No.	Description of Injury	Percentage of Loss of earning capacity
1	2	3
1.	Loss of both hands or amputation at higher sites	100
2.	Loss of hand and foot	100
3.	Double amputation through leg or amputation through leg or thigh on one side and loss of other foot.	100
4.	Loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eyesight is essential.	100
5.	Very severe facial disfigurement	100
6.	Absolute deafness	100

PART-II

LIST OF INJURIES DEEMED TO RESULT IN PERMANENT PARTIAL DISABLEMENT

Amputation cases-Upper limbs (either arm)

1.	Amputation through shoulder joint	90
2.	Amputation below shoulder with stump less than 20.32 cms.from tip of acromion.	80
3.	Amputation from 8” from tip of acromion to less than 11.43cms. below tip of olecranon.	70
4.	Loss of hands or of the thumb and four fingers of one hand or amputation from 11.43cms.below tip of olecranon.	60
5.	Loss of thumb	30
6.	Loss of thumb and its metacarpal bone	40
7.	Loss of four fingers of one hand	50
8.	Loss of three fingers of one hand	30

Back to Top

9.	Loss of two fingers of one hand	20
10.	Loss of terminal phalanx of thumb	20
10-A	Guillotine amputation of tip of thumb without loss of bone	10

Amputation cases- Lower Limbs

11.	Amputation of both feet resulting in end-Bearing Stumps	90
12.	Amputation through both feet proximal to the metatarso-Phalangeal joint.	80
13.	Loss of all toes of both feet through the metatarso-Phalangeal joint.	40
14.	Loss of all toes of both feet proximal to the proximal inter-phalangeal joint.	30
15.	Loss of all toes of both feet distal to the proximal inter-Phalangeal joint.	20
16.	Amputation at hip	90
17.	Amputation below hip with stump not exceeding 12.70 cms. In length measured from tip of great trenchanter but not beyond middle thigh.	80
18.	Amputation below hip with stump exceeding 12.70 ms. In length measured from tip of great trenchanter But not beyond middle thing.	70
19.	Amputation below middle thigh to 8.89 cms. Below knee	60
20.	Amputation below knee with stump exceeding 8.89 cms. But not exceeding 12.70 cms.	30
21.	Amputation below knee with stump exceeding 12.70cms.	40
22.	Amputation of one foot resulting in end-bearing	50
23.	Amputation through one foot proximal to the metarso-phalangeal joint.	50
24.	Loss of all toes of one foot through the metatarsophalangeal Joint.	20

Other Injuries

25.	Loss of one eye, without complications the other being normal	40
26.	Loss of vision of one eye, without complication of disfigurement of eye-ball, the other being normal	30
26-A	Loss of partial vision of one eye	10

Back to Top

A-Fingers of right or left band index finger

27.	Whole	14
28.	Two Phalanges	11
29.	One Phalanx	09
30.	Guillotine amputation of tip without loss of bone	05

Middle Finger

31.	Whole	12
32.	Two Phalanges	09
33.	One Phalanx	07
34.	Guillotine amputation of tip without loss of bone	04

Ring or Title Finger

35.	Whole	07
36.	Two Phalanges	06
37.	One Phalanx	05
38.	Guillotine amputation of tip without loss of bone	02

B- Toes or right or left fot great toe

39.	Through metatarso-Phalangeal joint	14
40.	Part, with some loss to bone	03

Any other toe

41.	Through metataro-phalangeal joint	03
42.	Part, with some loss to bone	01

Two toes of one foot excluding great toe

43.	Through metatarso-phalangeal joint	05
44.	Part, with some loss to bone	02

Three toes one foot excluding great toe

45.	Through metatarso-phalangeal joint	06
46.	Part, with some loss to bone	03

Back to Top

Four toes one foot excluding great toe

47.	Through metatarso-phalangeal joint	09
48.	Part, with some loss to bone	03

Back to Top